

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज०)

पीठासीन अधिकारी

आशीष गुप्ता
आई.ए.एस.

मिसल संख्या

मैनुअल नं.262/प्रा.पत्र/2018
(GCMS No. 2018/00647)

तारीख दायरा

15.10.2018

तारीख निर्णय

20.10.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

किशनगोपाल आ. रामचन्द्र जाति रेगर,
निवासी ग्राम जावटीकलां,
तहसील एवं जिला बून्दी (राज०)

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।

अप्रार्थी की ओर से श्री रमेश जैन, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी श्री किशनगोपाल आ. रामचन्द्र जाति रेगर, निवासी ग्राम जावटीकलां, तहसील बून्दी को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 104 रकबा 10 बीघा वाकेग्राम जावटीकलां, आवंटन आदेश दिनांक 11.06.1999 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के अन्तर्गत मृतक आवंटी के कायम मुकामान् के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाकर आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

जिला कलेक्टर, बून्दी



पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी आवंटी को दिनांक 11.06.1999 को आवंटन की गई थी, आवंटी का आवंटित भूमि पर कभी कब्जा काशत नहीं रहा है, पथरीली भूमि में कोई सुधार नहीं किया गया। नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2074 के अनुसार उक्त आराजी पड़त है। जिस कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि बाबत आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गई है। अप्रार्थी उक्त आराजी पर गैर खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका है। आवंटन को 20 वर्ष से अधिक अवधि गुजर चुकी है। आवंटन से लेकर अब तक आवंटी अप्रार्थी का उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर कब्जा काशत है। ऐसे में गलत तथ्यों के आधार पर काफी विलम्ब से पेश किया गया प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी किशनगोपाल आ. रामचन्द्र आ. लालू जाति रेगर निवासी ग्राम जावटीकलां को मिसल संख्या 16/1999 पर दिनांक 11.06.1999 को भूमि खसरा संख्या 104 रकबा 10 बीघा वाकैग्राम जावटीकलां का आवंटन किया जाना प्रकट है। संलग्न आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1957 के तहत पेश आवेदन पर आरक्षित मूल्य पर भूमि आवंटन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण सं. 144/अपील/99 बउनवान हीरालाल आ.गंगाराम जाति मीना निवासी जावटीकलां बनाम किशनगोपाल आ. रामचन्द्र जाति रेगर निवासी जावटीकलां वगै. में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2001 की सत्य प्रतिलिपि के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त आवंटन पर गुणावगुण पर परीक्षण किया जाकर आवंटन के विरुद्ध पेश अपील खारिज की जा चुकी है। इस प्रकार उक्त आवंटन के विरुद्ध अनकमाण्ड क्षेत्र के कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्ती हेतु कार्यवाही पेश किया जाना नियमान्तर्गत नहीं है, जो खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बून्दी

